

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 120/2019

तारीखरज:- 30/9/19

उनवान:- रूपसिंह आदि बनाम रामखिलाडी वर्ग०

दावा वावत घोषणा आम रास्ता, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188, आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
30/9/19	वादी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा आम रास्ता, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा 53, 188, आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो। 4895-4905 30/9/19
25.10.19	उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली कार की ओर से कार्य त्यागत रखा गया है प्रतिवादी नं. 10 के सम्मन बाद तामील शामिल (प्रतिवादी नं. 11 का सम्मन वापिस जाह नही) आइन्दा दि० 28-11-19 को पेश हो।
28-11-19	वकूलाय उपस्थित/पोदासन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली वापिस जाह दिनांक 6-1-20 को पेश हो।
6-1-20	वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 1 से 10 के उपस्थित नही होने से उनके पिकल एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 11 का पुनः सम्मन तलबाना पेश करें। दिनांक 17.2.20 को पेश हो।
17.2.20	वादी वकील/वकील सम्मन पत्र उपस्थित पोदासन अधिकारी, आर.टी.एक्ट पत्रावली वापिस जाह दिनांक 4.3.20 को पेश हो।
4.3.20	वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 11 का सम्मन तलबाना पेश कर तलबी करों। वापिस तलबी दिनांक 16.3.20 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
16.3.20	वादी वकील उपर / शतानुसार बाले तलबी दि 20.3.20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
20.3.20	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य रद्दगन रखा गया है। शतानुसार दिनांक 24.4.20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
4.9.20	लाकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई वादी वकील उपर / उतिवारी नं: 11 की तलबी कराने दिनांक 11.9.20 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
11-9-20	वादी वकील उपस्थित / वादी वकील ने Not-Press कर दावा खारिज करने का कथन किया। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल सुगार लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफत हो। <i>[Signature]</i>

Not Press
[Signature]

(दुर्गा प्रसाद मीना)
अपठक अतिरिक्त टोडाभीम
जिला-करौली